



समक्ष श्रीमान ३० जून २०१८ ग्राहकुमोदय भोपाल, संभाग भोपाज, (म.प्र.)

क्रमांक २४ प्र० क्र० २४-१२-१८ / रिवीजन २०१८/०५०८
प्रतापसिंह विश्वकर्मा, आयु 45 वर्ष,
आत्मज श्री प्रभूलाल विश्वकर्मा,

निवासी— करोंदखुर्द, भोपाल, तहसील हुजूर,

जिला भोपाल (म.प्र) ————— रिवीजनकर्ता / प्रतिअपीलार्थी गण

विरुद्ध

01 श्रीमती कलावती बाई, पत्नी श्री दीनदयाल,
आयु 55 वर्ष, आत्मजा श्री प्रभूलाल विश्वकर्मा,
निवासी— विश्वकर्मा मंदिर के पास, विदिशा रोड
बैरसिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र)

श्रीमती अनीता बाई, पत्नी श्री मनोज,
आयु 40 वर्ष, आत्मजा श्री प्रभूलाल विश्वकर्मा,
निवासी— मकान नम्बर 80, गली नम्बर 02,
चिकलोद रोड, जहाँगीराबाद, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म.प्र)

03 श्रीमती सविता बाई, पत्नी श्री ओमप्रकारश,
आयु 32 वर्ष, आत्मजा श्री प्रभूलाल विश्वकर्मा,
निवासी— ग्राम चिकलोद, बंगरसिया भोपाल (म.प्र)

04 श्रीमती बवली बाई, पत्नी श्री संदीप, आयु 25 वर्ष,
आत्मजा श्री प्रभूलाल विश्वकर्मा, निवासी— वढई पुरा
राम मंदिर के पास, विदिशा, तहसील विदिशा
जिला विदिशा (म.प्र)

05 कुमारी विधि, आयु 22 वर्ष, आ० श्री प्रभूलाल
विश्वकर्मा, निवासी— करोंदखुर्द, भोपाल,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र)

06 प्रभूलाल, आयु वयस्क, आत्मज श्री हल्कूराम,
आत्मजा श्री प्रभूलाल विश्वकर्मा, निवासी— करोंदखुर्द,
भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र)

[Signature]





- 07 करन सिंह, आयु वयस्क, आत्मज श्री प्रभुलाल,
आत्मजा श्री प्रभुलाल विश्वकर्मा, निवासी—
करोंदखुर्द, भोपाल, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म.प्र.)
- 08 दारासिंह, आयु वयस्क, आत्मज श्री प्रभुलाल,
आत्मजा श्री प्रभुलाल विश्वकर्मा, निवासी—
करोंदखुर्द, भोपाल, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म.प्र) — उत्तरदाता गण / अपीलार्थीगण
रिवीजन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
- यह रिवीजन (पुनरीक्षण) माननीय अधिनरथ राजस्व अधिकारी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह0 हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक— 201/अपील/16-17 श्रीमती कलावती बाई व अन्य विरुद्ध प्रभुलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांकित— 18/12/2017 से असंतुष्ट एवं क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है, इस आदेश को अपील प्रकरण के आगे संदर्भों में सुविधा की दृष्टि से आलोच्य आदेश के नाम से संबोधित किया जावेगा।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/408

निगरानी क्रमांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभावकों
आदि के हस्ताक्षर

30-1-2018

आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं कर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से छूट हेतु म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के ग्राह्यता के संबंध में निगरानी मेमों का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18-12-2017 के दिरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण समय—सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण—दोष करना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

अध्यक्ष